न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 52/2019
GCMS Case No. 2019/00178

सायल :– सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायलः– राजुसिंह पुत्र श्री घीसुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी 53 इन्द्रा कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.4.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 27.09.2019 को गैरसायल राजुसिंह पुत्र श्री घीसुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी 53 इन्द्रा कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2014 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से तीनों प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100–100 रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है एवं 1 प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट नम्बर/दिनांक	नाम न्यायालय निर्णय
1	580/24.10.2014	451,323/34 भा.द.स.	335/31.10.2014	जैर ट्रायल
2	99/1.3.2016	13 आरपीजीओ	34/09.01.2016	दिनांक 30.05.2016 को एसीजेएम सी आर कोर्ट पाली से 100 रूपये जुर्माना
3	390/1.08.2018	13 आरपीजीओ	243/14.08.2018	दिनांक 31.08.2018 को एसीजेएम सी आर कोर्ट पाली से 100 रूपये जुर्माना
4	53/26.01.2019	13 आरपीजीओ	24/31.01.2019	दिनांक 06.02.2019 को एसीजेएम सी आर कोर्ट पाली से 100 रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल राजुसिंह पुत्र श्री घीसुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी 53 इन्द्रा कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली आला दर्जे का जुआरी है। जो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के अवैध जुआ खेलने से अन्य लोगो पर गलत प्रभाव पडने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली में मुकदमा नम्बर 580/24.10.2014 अन्तर्गत धारा 451,323/34 भादस वर्तमान में जैर ट्रायल है। माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली के मुकदमा नम्बर 99/2016 में दिनांक 30.05.2016 को आदेश पारित करते हुए 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली ने मुकदमा नम्बर 390/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 तथा मुकदमा नम्बर 53/26.01.2019 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2019 के द्वारा गैरसायल को 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित कर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल राजुसिंह पुत्र श्री घीसुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी 53 इन्द्रा कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 14.5.2024 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल राजुसिंह पुत्र घीसुसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली गैरसायल राजुसिंह पुत्र घीसुसिंह को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी रोहट जिला पाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली एवं थानाधिकारी रोहट जिला पाली को भिजवाई जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 29/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली